संख्या-23/2015/753/38-4-15-15(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 24 जुलाई, 2015

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1269/सम्प्रेक्षा-अनुभाग(लो0आ0या0)/2015-156, दिनांक- 27 मई, 2015 एवं पत्र संख्या-जी0ओ0-4/सम्प्रेक्षा/2015, दिनांक-14-07-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 वित्तीय वर्ष-2013-14 में शासनादेश संख्या-443/38-4-12-36(विविध)/2013टी0सी0 दिनांक 31 मार्च,2014 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ में रखी गयी धनराशि के सापेक्ष कुल अवशेष धनराशि रू0-20.02679 करोड़ (रू0 बीस करोड़ दो लाख सरसठ हजार नौ सौ मात्र) को आहरित कर व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- आहरित की जा रही धनराशि को योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2)- पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमो के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- आहरित की जा रही धनराशि को किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(4)- पी0एल0ए0 से धनराशि उतनी ही आवासों के लिए आहरित की जायेगी जितने आवास वर्तमान में पूर्ण हो चुके हैं।

(5)- यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि पी0एल0ए0 से आहरित कर संबंधित संस्था/फर्म को दी जा रही धनराशि को संस्था/फर्म द्वारा 03 माह में निश्चित रूप से व्यय कर लिया जायेगा अन्यथा फर्म/संस्था को नियमानुसार दण्ड का भुगतान करना होगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा ।

(7)- आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(8)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थित हो, के द्वारा किया जायेगा।

(9)- वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से निश्चित करेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-658/दस-2015, दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या-23/753(1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
3- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ ।
4- मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी, जिला कोषागार, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in